''राज्य सभा में माननीय सांसदों द्वारा राज्यों के विषय में पूछे गये प्रश्नों के महत्व''

नरेन्द्र सिंघल, शोधार्थी राजनीति विज्ञान मंगलायतन विश्वविघालय, अलीगढ उ0प्र0
डॉ0 तारिक अनवर, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग–मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ उ0प्र0

सार (ABSTRACT)

पूर्व इतिहास :

ब्रिटिश उपनिवेश शासन से मुक्ति के लिये भारतीयों का संघर्ष स्वतंत्रता पाने के लिये संघर्ष की शुरूआत प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1857 से 1947 के दौर में हुई, जिसने न केवल उपनिवेशियों को उनके उपनिवेशों को छोड़कर जाने पर मजबूर किया, बल्कि यह समय संघर्षरत भारतीयों, राजनैतिक नेतृत्व के लिये लोकतंत्र की आधुनिक संसदीय पद्धति हेतु शिक्षण काल बना।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारतीयों ने लोकतान्त्रिक सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिये बहुत बडे–बड़े बलिदान दिये है।

लोकतन्त्र में अपने खुद के प्रतिनिधियों को चुनने और चुने गये प्रतिनिधियों की सहमति शासितों द्वारा प्राप्त की जाती है। क्योंकि सहमति मुफ्त में प्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुनावों में अपनी मर्जी अथवा निर्णय के आधार पर दी जाती है और अगले चुनाव में जनता द्धारा उसे अग्रसित की जाती है अथवा वापस भी ले जाती है।

वर्ष 1929 के संपूर्ण भारत के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की थी कि **''हम आज यहां पूर्ण स्वराज्य' के लिये इकठ्ठा हुए है। ब्रिटिश संसद को हमारे ऊपर शासन करने का हमें आदेश देने का किसी भी कीमत पर कोई अधिकार है, इसे कांग्रेस ने न कभी स्वीकार किया है और न ही कभी करेगा।''**

प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र –

हमने प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई है। तीन शब्द अर्थात प्रातिनिधिक, संसदीय एवं लोकतंत्र हमारी राजनीतिक व्यवस्था के मूल तत्व है।

लोकतन्त्र की अनेक परिभाषाएं एवं व्याख्याएं की गई है उनमें अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहिम लिंकन की परिभाषा सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। लिंकन के अनुसार'' **''लोकतन्त्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।''**

ब्राइस के शब्दों में,– ''लोकतन्त्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गो के हाथों में निहित न होकर संपूर्ण जन–समुदाय में निहित होती है।''

सीले के शब्दों में– 'लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली होती है' जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो।

गांधी एवं सर्वोदयी विचारधारा के अनुसार– ''प्रजातंत्र अंहिसा पर आधारित होता है और यहां के लोगों पर शासन कम से कम किया जाता है।''

लोकतांत्रिक शासन में कोई भी प्रत्यक्षतः अधीन लोकतान्त्रिक या सप्रभू नहीं होता। लोकतान्त्रिक प्रणाली में शासक और शासित एक ही होते है। लोग स्वयं तो शासन करते नहीं, परन्तु शासन को अनुकूलित (Conditioned) अवश्य करते है। वर्तमान में बहुल जनसंख्या के कारण प्रत्यक्ष शासन असंभव है, इसीलिए लोकतन्त्र प्रणाली में निर्धारित अंतराल पर निर्वाचन और प्रतिनिधित्व दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यह स्वशासन की अपेक्षा बहुलतंत्र (Polyarchy) है।

अतः बिना प्रतिनिधि संख्याऐं– जिला सभाऐं, राज्य विधान सभाऐं– केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा– संसद के अभाव में लोकतन्त्र की कल्पना भी नही की जा सकती है।

स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने 1940 की मांग में **''पूर्ण स्वाधीनता और राष्ट्रीय पंचायत''** की थी कि महात्मागांधी सहित अनेक नेता स्पष्ट कर चुके थे कि पूर्ण स्वाधीनता का क्या रूप हो और ब्रिटेन से उस हालात में भारत क्या संबंध रहे इसके बारे में अपने विचार कुछ भी हो पर जनता की **''प्रतिनिधि राष्ट्रीय पंचायत''** जो निर्णय करेगी उसकी कांग्रेस मुखालफत नहीं करेगी और राष्ट्रीय पंचायत की मांग का आशय यही है कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि ही भारत के भाग्य के बारे में निर्णय करें।

वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी शासकीय सत्ता का केन्द्र राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा अर्थात संसद अमर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की दूर दृष्टि वलिदान, लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति कठोर परिश्रम व समर्पण का परिणाम है।

पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों संस्थाओं के अभाव में लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं की जाती है प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से ही लोकतन्त्र के प्रमुख तत्व सामूहिकता, समानता, जवावदेही, पारदर्शिता, सभी का प्रतिनिधित्व लोक कल्याणी शासन ..... आदि सभी को पूर्ण किया जाता है।

वर्तमान समय में विश्व के अधिकतर लोकतान्त्रिक देशों में दो तरह की शासन प्रणाली चल रही है संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय प्रणाली में शासन का प्रमुख प्रधान मंत्री संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रियों का चयन संसद सदस्यों से ही करना होता है। अध्यक्षीय प्रणाली जैसी कि संयुक्त

 Copyright @ 2023 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-05, No.03, May : 2023

राज्य अमेरिका आदि में है शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव मे जनता की सीधी भागीदारी होती है। न कि वह संसद के बहुमत पर निर्भर होता है हमारे देश भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया ।

संसदीय शब्द का अर्थ विशेष रूप से एक प्रकार की लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था से है।

संसद जहां सर्वोच्य शक्ति जन समाज द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के निकाय मे निहित होती है। जिसे संसद कहते है। संसदीय प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें राज्य के शासन में संसद का प्रमुख स्थान है भारत के संविधान के अन्तर्गत **संघीय विधान मंडल** को **संसद** कहा जाता है। यह वह धुरी है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है।

संसद का गठन भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों– राज्यसभा (कौसिंल आफ स्टेट्स) और लोकसभा (हाउस आफ द पीपुल) से मिलकर बनी है।

अ– राष्ट्रपति– गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनें सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते है।

विश्व के जो प्रमुख लोकतान्त्रिक देशों में जैसे– अमेरिका ब्रिटेन, भारत, जापान, स्विट्जर लैण्ड, रूस, फ्रांस, कनाडा, व ऑस्ट्रेलिया में द्वि सदनीय व्यवस्था लागू है। अतः संसद का द्वि सदनीय होना संसद की पूर्णता का परिचालक है।

ब– राज्यसभा– राज्यसभा जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्यों की परिषद अथवा कौसिंल ऑफ स्ट्टेस है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपानिक पद्वति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते है।

. ...2,

राज्यसभा में जन संख्या के आधार जनप्रतिनिधित्व देश के विभिन्न राज्यों को मिला हुआ है इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्य सभा में 31 सदस्य है, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम त्रिपुरा आदि जैसे अपेक्षातया छोटे राज्यों का केवल एक एक सदस्य है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।

राज्य सभा की संरचना

– अधिकतम संख्या–250, जिसमें 238 राज्यों के प्रतिनिधि तथा 12 मनोनीत सदस्य। (जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं)
– वास्तविक संख्या–245, जिसमें 229 राज्यों के प्रतिनिधि 4 संघ शासित क्षेत्र तथा 12 मनोनीत सदस्य राज्य सभा में कोई आरक्षण नहीं होता।
– दिल्ली एवं पांडिचेरी ही दो ऐसे संघ शासित क्षेत्र है, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य सभा में होता है।
– राज्य सभा के सदस्यों की दो श्रेणियां है–
  1– एक जो सीधे राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित होते है, (238 सदस्य)।
  2– तथा दूसरे वे, जो मनोनीत किए जाते हैं, (12 सदस्य)
– राष्ट्रपति, साहित्य कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राज्य सभा में मनोनीत करता है, जिसमें दिल्ली व पांडिचेरी भी शामिल है।

राज्य सभा के सदस्यों की योग्यता

– वह भारत का नागरिक हो।
– उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो।
– संप्रति जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति उस राज्य विशेष का निवासी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

– राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा **'एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली'** से होता है।
– राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव में खुला मतदान किया जाता है।
– राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जिसका कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं।

राज्य सभा का सभापति

– राज्य सभा का पीठासीन अधिकारी, सभापति कहलाता है।
– उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
– जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो उस समय वह राज्य सभा का सभापति नहीं होता।
– राज्य सभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाय।
– जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का विचार चल रहा हो, तो वह राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, परन्तु वह सदन में उपस्थित रह सकता है, सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है तथा बोल सकता

 Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-05, No.03, May : 2023

है। यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि वह मत नहीं दे सकता। जबकि लोक सभा अध्यक्ष को हटाने का विचार चलने पर मत दे सकता है।

राज्य सभा के सभापति के कार्य

– सभापति का कार्य लोक सभा के अध्यक्ष के समान होते हैं।
– सदन की बैठक में सभापति के अनुपस्थित होने पर उपसभापति, सभापति के तौर पर कार्य करता है।
– जब सदन में सभापति पीठासीन होता है, तो उपसभापति की भूमिका सदन के अन्य सदस्यों की तरह होती है तथा उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है।
– यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि उपसभापति, सभापति के अधीन नहीं होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से राज्य सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

वेतन व भत्ते

– उपसभापति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
– उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, भारत की संचित निधि पर पारित होते है।

स– लोकसभा–दूसरा सदन, लोकसभा, हाउस आफ द पीपुल है।

आम चुनावों द्वारा लोकसभा में दलों अथवा सांसदों का जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है उसके नेता को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने हेतु आमन्त्रित किया जाता है। इस प्रकार संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है।

लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है। भारत का नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो लोकसभा के लिये निर्वाचनों में मतदान का हकदार होगा, यदि उसे कानून के अधीन मतदाता के रूप में अयोग्य घोषित ना किया गया हो। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित है।

संसद की अध्यक्ष तथा प्रमुख अधिकारी –

संसद के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी किसी सदन को व्यवस्थित और कुशल ढंग से कार्य करने हेतु उसके सक्षम प्राधिकारी का होना आवश्यक है। जो सदन की कार्यवाहियों और कार्यकरण को नियमित करें। संविधान में लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का और राज्य सभा के लिए सभापति और उप–सभापति का इसी उद्देश्य से प्रावधान किया गया है।

भारत के उप–राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते है। और राज्यसभा द्वारा अपने किसी सदस्य को बहुमत द्वारा उप–सभापति नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक सदन के इन दो महत्वूपर्ण पदों के बाद प्रत्येक सदन में सभापित–तालिका भी बनाई जाती है उस तालिका के सदस्य अपने–अपने सदन की उस समय अध्यक्षता करते है जब वहां दोनों पीठासीन अधिकारियों में से कोई भी सदस्य उपस्थित न हो। दो पीठासीन अधिकारियों के बाद प्रत्येक सदन में महत्वपूर्ण पद महासचिव होता है जो सदन का गैर– निर्वाचित स्थायी अधिकारी होता है। 3,

दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका–

संसद के दोनों सदनों को, सिवाय वित्तीय और मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व के मामलों के जो पूर्णतया लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में है, सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है।

1– कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
2– राज्यसभा किसी धन विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसमें संशोधन करने की केवल सिफारिश ही कर सकती है। यदि ऐसा विधेयक चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता तो उस उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर लोकसभा द्वारा पारित किये गए रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया माना जाता है।
3– कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला लोकसभा द्वारा किया जाता है।
4– राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार कर सकती है इसे अनुदानों की मांगों को अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
5– राज्य सभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पास करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

राज्यसभा का महत्व –

राज्यसभा के विभिन्न विषयों पर अधिकारों के सीमित होने बाबजूद इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कम महत्व रखती है अथवा इसे द्वितीय स्थान दिया जाता है। धन विधेयकों को छोड़कर अन्य सब प्रकार क`विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समकक्ष हैं।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने, जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपातकाल की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों

Copyright @ 2023 Author

की संयुक्त बैठक द्वारा दूर किया जाता है ऐसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है संयुक्त अधिवेशन में मामले बहुमत द्वारा तय कये जाते है।

राज्यसभा की स्थिति –

राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति (लोकसभा की तुलना में) का तीन कोणों से अध्ययन किया जा सकता है।

1. जहां राज्यसभा, लोकसभा के बराबर हो।
2. जहां राज्यसभा, लोकसभा के बराबर नहीं हो।
3. जहां राज्यसभा की विशेष शक्तियों हों। जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती।

लोकसभा के साथ समान स्थिति–

निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा के समान होती है।

1. सामान्य विधेयकों का प्रस्तुत करना और उनको पारित करना।
2. संवैधानिक संशोधन विधेयकों का प्रस्तुत करना और उनको पारित करना।
3. ऐसे वित्तीय विधेयकों प्रस्तुत करना स्थापन, जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है।
4. राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग।
5. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने को पहल कर सकती है, उसे राज्यसभा के विशेष बहुमत संकल्प को पारित कर और लोकसभा के सामान्य बहुमत की स्वीकृति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

राज्य सभा की लोकसभा के साथ असमान स्थिति–

निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियॉ एवं स्थिति लोकसभा से असमान है।

1. धन विधेयक को केवल लोकसभा में संशोधित किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं।
2. राज्यसभा, धन विधेयक की अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। उसे इस विधेयक की सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है।
3. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है।
4. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
5. संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा संख्या से जीतती है। सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो।
6. राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती।
7. राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है।
8. राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यो पर चर्चा और आलोचना कर सकती है।

राज्यसभा की विशेष शक्तिया–

देश की संवैधानिक व्यवस्था का संघीय (फेडरल) चरित्र होने के कारण राज्यसभा को दो विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, जो लोकसभा के पास नहीं है।

1. यह संसद को राज्यसूची (अनुच्छेद 249) में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है।
2. यह संसद को केन्द्र एवं राज्य दोनेां के लिए नयी अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है (अनुच्छेद 312)।

उपरोक्त विंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति उतनी दुर्बल नहीं है कि जितनी की हाउस आफ लाड्र्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में है। दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है, जितनी कि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में। वित्तीय मामलों एवं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त, अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियॉ लोकसभा के बराबर ही हैं।

..........4,

राज्यसभा की उपयोगिता –

यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई है फिर भी इसकी बहुत उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर हैः

1. यह लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए, दोषपूर्ण, अति उत्साह से और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और उस पर विचार के उपबंध के रूप में जांच परख करती है।
2. यह उन अनुभवी एवं पेशेगत लोगों को प्रतिनिधित्व देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते है।

 Copyright @ 2023 Author

3. यह केन्द्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संघीय संतुलन की बरकरार रखते हुये संघवाद (फेडरिज्म) को संरक्षण प्रदान करती है।

राज्यसभा व लोकसभा में प्रमुख मुख्य तुलनाऐं

तुलना का आधार	**लोकसभा**	**राज्यसभा**
दूसरा नाम	लोगों का सदन	राज्यों की परिषद
कार्यकाल	5 वर्ष (इसे 5 वर्ष से पहले अविष्वास प्रस्ताव पारित करके भंग किया जा सकता है।	स्थायी सदन (अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता है)
न्यूनतम आयु	25 वर्ष	30 वर्ष
सदन का मुख्य पीठासीन अधिकारी	लोकसभा अध्यक्ष	भारत के उपराष्ट्रपति **(सभापति के रूप में)**
अधिकतम सदस्य संख्या	552	250
वर्तमान सदस्य संख्या	545	245
मनोनीत सदस्यों की संख्या	एंग्लो–इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को (एंग्लो–इंडियन को नामित करने प्रावधान को 95वें संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा 2009 द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया था)	12 (कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से)
चुनाव का तरीका	फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित करना	आनुपातिक प्रनिधित्व राज्यों के विधायकों द्वारा सदस्यों का चुनाव
कार्य	धन विधेयकों में संशोधन करना – धन और गैर धन विधेयकों को अधिनियमित– और पेश करना। कराधान, बजट और वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करना। प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न, संकल्प प्रस्ताव और–	गैर धन विधेयकों को मंजूरी देना समवर्ती और संघ सूची में शामिल मामलों में कानून बनाना। किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करना। इसमें कार्यपालिका और पिछले संकल्पों और

 Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-05, No.03, May : 2023

अविश्वास प्रस्ताव पारित करने कीशक्ति के` प्रस्तावों से संबंधित प्रश्न पूछने की

माध्यम से कार्यपालिका की जॉच करना। शक्ति है।

सदन में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सदन के उपसभापति के

नहीं की जा सकती है। चुनाव व निष्कासन में भाग लेता है।

———————————————————————————————————

शक्तियॉ **– धन विधेयक** – धन विधेयक राज्यसभा में

केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

– मंत्रिपरिषद – राज्य से संबंधित किसी भी मामले में राज्यसभा

केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

सभा के प्रति नहीं।

– लोकसभा के सदस्य अवश्विास प्रस्ताव – उदाहरण के लिए राज्य सूची में शामिल

पारित करके सरकार को हटा सकते हैं। किसी भी मामले को हटाने या स्थानांतरित

करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

———————————————————————————————————5

राज्यों का प्रतिनिधित्व – सदस्यों को राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों– सदस्यों का चुनाव

राज्य विधानसभाओं .

से लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है चुनाव सिद्धांत में के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है

18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी भारतीय नागरिक चुनाव सिद्धांत का इस्तेमाल आनुपातिक

को वोट देने के लिए सार्वभौमिक वयस्क प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय वोट के

मताधिकार पात्रता का उपयोग किया जाता है। माध्यम से सीटों का आवंटन जनसंख्या के

आधार पर किया जाता है।

———————————————————————————————————

संसदीय विशेषाधिकार–

संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूटे है वो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यो की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायतत्ता, महानता तथा सम्मान को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को, किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहनों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी तथा केन्द्रीय मंत्री शामिल है।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं है जो संसद का एक अंतरिम भाग भी है।

Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-05, No.03, May : 2023

वर्गीकरण–

संसदीय विशेषाधिकारों को दो वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. वे अधिकार, जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, तथा
2. वे अधिकार, जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं।

सामूहिक विशेषाधिकार–

संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है:

1. इसे अपनी रिपोर्ट, वाद–विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने, सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनस्थापित किया किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है।

   यह उल्लेखनीय है कि संसद ने अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष विधि अथवा नियम नहीं बनाये है। ये निम्न 5 निम्न बिन्दुओं पर आधारित है:

1. संवैधानिक उपबंध, 2. संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियां,
3. दोनों सदनों के नियम, 4. संसदीय परंपरा, और 5. न्यायिक व्याख्या।

संसद की संप्रभुता

’ **संसद को संप्रभुता**’ का सिद्धान्त ब्रिटिस संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति हैं **ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है, इसके प्रभाव एवं न्यायक्षेत्र पर वहां कोई विधिक प्रतिबंध नहीं हैं।**

अतः संसद की संप्रभुता (संसदीय सर्वोच्चता) ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। ब्रिटिश न्यायवादी ए.वी. डायसी के मतानुसार इस सिद्धान्त के तीन अनुप्रयोग है’’

1. ब्रिटिश संसद किसी कानून को संशोधित प्रतिस्थापित या विधि को निरसित कर सकती है। ब्रिटिश राजनीति विश्लेषक डी. लोल्मे कहते हैं, ’’ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरूष और पुरूष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है।’’
2. ब्रिटिश संसद संवैधानिक कानूनों को उसी प्रक्रिया की तरह बना सकती है जैसे साधारण कानून। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश संसद में सांविधिनिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं है।
3. ब्रिटिश संसदीय विधि को **न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती** जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

दूसरी तरफ भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता जैसा कि ’इसके प्रभाव व न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध है। जो तत्व भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमित करते है वे निम्न है।

1. संविधान की लिखित प्रकृति–

हमारे देश का संविधान मूलभूत विधि है। इसमें संघ सरकार के तीनों अंगों के लाभ क्षेत्र, प्रभाव एवं उनके आपस में संबंधों की परिभाषित किया गया है। इस तरह संविधान सें इतर संसद के पास क्रियान्वयन को कुछ नहीं है। वही नहीं, कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति भी जरूरी होती है। ब्रिटेन में न तो संविधान लिखित में है और न ही वहां कोई मूलभूत विधि है।

2. सरकार की संघीय व्यवस्था–

भारत में शासन की संघीय (फेडरल) प्रणाली है जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का सांविधानिक विभाजन है, दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते हैं। अतः संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है। लेकिन इस शक्ति को राज्यसूची में विस्तारित नहीं किया जा सकता (सिवाय पांच असाधारण परिस्थितियों के यह भी अल्प समय के लिए) दूसरी तरफ, ब्रिटेन में सरकार की एकात्मक व्यवस्था है। इस तरह सारी शक्ति केन्द्र में निहित होती है।

3. न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था

स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है। उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालय दोनो ही ’संसद द्वारा प्रभावी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि वे संविधान से किसी उपबंध का उल्लंघन करते हों। दूसरी तरफ, ब्रिटेन मे ’न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हैं। ब्रिटिश न्यायालय, संसदीय विधि को बिना उसकी संवैधानिकता, वैधता या उचित कारण जाने विशेष मामलों में लागू कर सकता है।

4. मूल अधिकार

संविधान के भाग तीन के अंतर्गत न्यायोचित मूल अधिकारों की संहिता को शामिल कर संसद के प्राधिकार को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 13 राज्य को किसी भी ऐसी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकार के किसी भाग या इसे पूर्ण रूप से निरसन 6,

Copyright @ 2023 Author

करें। इस तरह एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करें, उसे अवैध माना जाएगा। दूसरी तरफ, ब्रिटेन के संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों की कोई अलग संहिता नहीं है।

शोध शीर्षक– ''राज्यसभा में माननीय संसद सदस्यों द्वारा राज्यों के विषय में पूछे गये प्रमुख प्रश्नों के महत्व पर अध्ययन'' का मुख्य आधार लोकतन्त्र है । लोकतन्त्र के अभाव में लोकप्रतिनिधि संस्थाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती है फिर शासकों से प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठ सकता क्योंकि तानाशाह शासक स्वयं से अथवा उसकी सरकार से प्रश्न पूछने को राजद्रोह व शासन के विरूद्ध षड्यंत्र मानता है और प्रश्न पूछने वाले अपने विरोधियों अथवा जनता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करता है।

लोकतन्त्र में शासकों को चुनना, उन्हें बदलना, लोक इच्छाओं के अनुरूप जनहित में कार्य करने पर प्रेरित करना लोक इच्छाओं के अनुरूप देशहित में कानूनों का निर्माण और अपने चुने हुये जन प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछना यह सब लोगों को अधिकार प्राप्त होता है। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण लोकतन्त्र प्रणाली को सबसे अच्छी शासन प्रणाली का स्थान प्राप्त है ऐसी अनेक लोकतान्त्रित विशेषताओं को अपनाने की वजह से भारत को **विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश** होने का गौरव प्राप्त है।

विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने के गौरवपूर्ण स्थान होने से हमारी लोकतन्त्र के प्रति प्रतिबद्धता और बढ जाती है। संसद में अनेक महत्वपूर्ण विधायी कार्यो के साथ–साथ **सफल प्रश्न काल** का होना मजबूत, प्रगतिशील, जीवंत, जबावदेह लोकतन्त्र का प्रतीक है।

प्रश्नकाल की महत्वा को रेखांकित करते हुए दिनांक 12.04.2022 को लोकसभा **अध्यक्ष श्री ओम विरला** ने गुवाहाटी में पत्रकार वार्ता के दौरानं कहा **''नगर पालिकाओं और पंचायतों में भी बजट प्रस्तुत किए जाने के दौरान संसद की ही तरह व्यापक पैमाने पर चर्चा किये जाने की जरूरत है, और प्रश्नकाल जैसी व्यवस्था का होना भी तभी लोकतन्त्र मजबूत होगा।''**

प्रश्नकाल का महत्व–

संसद की महत्वपूर्ण भूमिका कार्यपालिका पर निगरानी रखना है इसे पूर्ण करने में संसदीय प्रश्न एक मजबूत माध्यम है। सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की पद्धति का प्रयोग विश्व की संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली वाले सभी देशों में होता है।

संसद में पूछे प्रश्न और उनको प्राप्त समाचार पत्रों की सुर्खिया बनते है और आम जन मानस को प्रभावित करते है।

प्रश्नों के उत्तर केवल सदन में दिये जाते हैं। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घण्टे के दौरान प्रश्न पूछे जाते है और उनमें से सूचीबद्व प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य के साथ–साथ पूरे सदन और देष को प्राप्त होते है। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है।

सांसदों द्वारा जन आंकाक्षाओं के अनुरूप प्रतिनिधित्व करते हुए शिकायतें व्यक्त करना और प्रश्न पूछना–

सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों की जनता अपने अटूट विश्वास और उम्मीद के साथ निर्वाचित कर संसद में भेजती है। जनता की इन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप संसद सदस्य तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर प्रश्न पूछते है। सांसद अपनी सूझ–बूझ से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सर्व साधारण की समस्याओं का रूप देते हुए **प्रश्नों के माध्यम** से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव **(Calling Attention Notices)** और अल्पकालिन प्रस्ताव **(Short Duration Discussion)** रखकर उन पर चर्चाओं की मांग करते है। अतः भारतीय संसद बहुमुखी भारतीय समाज का दर्पण है।

प्रश्न काल का मूल्यांकन–

प्रश्नकाल एक ओर सांसदों को देश के नागरिकों की अनेक समस्याओं, शिकायतों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है साथ ही प्रश्नों के माध्यम से अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार, घोटाले, वित्तीय अनियमितताऐं भी उजागर होती है। प्रश्नों के माध्यम से यह मालूम पडता है कि सरकार के अधीन विभागों की कार्य प्रणाली कैसी चल रही है। उनमें क्या कमियॉं है। अतः प्रश्न काल जनता की शिकायतों को उठाने और सरकार की त्रुटियों को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम होने के साथ–साथ सांसदों द्वारा जनहित में प्रयोग किये जाने वाला संवैधानिक संसदीय उपचार भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (BIBLIOGRAPHY)

उपरोक्त प्रपत्र को लिखने/संकलित करने के लिये भारतीय संविधान सहित भारतीय शासन एवं राजनीति की अनेक पुस्तकों का उपयोग किया गया प्रमुख की सूची निम्नांकित है–

लेखक/संकलन कर्ता	प्रकाशन का प्रथम संस्करण	पुस्तक का नाम वर्ष	प्रकाशनकर्ता Publisher
1. डॉ. जयजय राम उपाध्याय	2019	भारत का संविधान	सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 30–डी/1 मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद
2. डॉ. डी.सी. त्रिपाठी एवं	2012	भारतीय शासन	कालेज बुक डिपो 83,

 Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-05, No.03, May : 2023

डॉ. ममता पारीक		एवं राजनीति	त्रिपोलिया, जयपुर–2
3. सुभाष कश्यप	1991	हमारी संसद	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, बसन्तकुंज नई दिल्ली–70
4. राजीव अहीर (I.P.S.)	1999	आधुनिक भारत का इतिहास	स्पैक्ट्रम बुक प्रा0लि0 ए1–291 प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली–58
5. सुनील गुप्ता एवं कमल कुमार सिह	2011	सुशासन	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, बसन्तकुंज नई दिल्ली–70
6. पध्मा रामचंद्रन	2005	भारत में लोक प्रशासन	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, बसन्तकुंज नई दिल्ली–70
7. डॉ0 संदेश माधवराव वाघ	2016	डॉ0 अम्बेडकर के प्रजातान्त्रिक विचार	गौतम बुक सेंटर, 1/4446, रामनगर एक्सटेंशन, गली नं04 मंडोली रोड शाहदरा दिल्ली–32
8. चंद्र प्रकाश भांभरी	2011	भारत में लोकतंत्र	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, बसन्तकुंज नई दिल्ली–70

Copyright @ 2023 Author